परिपत्र संख्या **14/10**

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कर भवन
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ.4(300)(8)/स्टा/वैण्डर/10/ 1764 दिनांक :06/05/2010

–:: परिपत्र ::–

विषय :– *स्टाम्प वैण्डरों द्वारा स्टाम्प विक्रय करने के क्रम में पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 9/10 दिनांक 12/04/2010 तथा परिपत्र संख्या 12/10 दिनांक 23/04/2010 में संशोधन।*

0.1 विभिन्न स्तर से प्राप्त फीड बैक के आधार पर इन परिपत्रों में, आमजनता के हित में आंशिक रूप से संशोधन किया जाना उचित पाया गया है।

0.2 इन परिपत्रों में यह प्रावधान किया था कि कौन व्यक्ति किसके लिए स्टाम्प खरीद सकता है। इसी के क्रम में निम्नानुसार ओर संशोधन कर निम्न व्यक्तियों को स्टाम्प क्रय हेतु अधिकृत किया जाता है :–

(1) पब्लिक लिमिटेड व प्राईवेट लिमिटेड कम्पनीज के लिए उनके मैनेजिंग डायरेक्टर/सचिव या इनके द्वारा इन कार्यालयों का अधिकृत व्यक्ति।

(2) रजिस्टर्ड फर्मस् के मामले में फर्म का भागीदार या प्रबन्धक भागीदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति।

(3) विभिन्न बैकों/इंश्योरेन्स कम्पनियों के कार्यालयों में कार्यालय उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर इन कार्यालयों के मैनेजर या उनके द्वारा इन कार्यालयों का अधिकृत व्यक्ति।

अन्य समस्त शर्तें/प्रविष्टियां आदि परिपत्र संख्या 9/10 व 12/10 के अनुसार होगी।

3.0 शपथ पत्र के लिये जो स्टाम्पस् जारी किये जावें उसमें परिचय पत्र दिखाने/लेने की छूट प्रदान की जाती है परन्तु बेचे गये स्टाम्पस् के पृष्ठांकन में शपथ प्रयोजनार्थ इन्द्राज आवश्यक रूप से किया जावे।

4.0 परिपत्र संख्या 12/10 दिनांक 23/04/2010 के बिन्दु संख्या 2.2 के अन्तर्गत यदि मूल परिचय पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति स्टाम्प वेण्डर को दिखा दी जाती है तो प्रति स्टाम्प वेण्डर को देना आवश्यक नहीं होगा किन्तु स्टाम्प वेण्डर स्टाम्प विक्रय रजिस्टर व स्टाम्प की पुश्त पर अंकन करेगा कि परिचय पत्र/परिचय पत्र की प्रमाणित प्रतियां देखी गयी।

(हस्ताक्षर) 06/5/10
महानिरीक्षक,
पंजीयनं एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक : एफ.4(300)(8)/स्टा/वैण्डर/10/ 1765-1851 दिनांक : 06/05/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड हेतु।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को देकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के आशय की सूचना वृत के अधीन सभी उप पंजीयकों एवं स्टाम्प वैण्डरों को भी दी जावें।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

(हस्ताक्षर) 06/5/10
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर